बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः 6/बैठक-107/16 957 दिनांकः 06/2/17

प्रेषक,

अंशुली आर्या,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

सभी उप विकास आयुक्त

बिहार।

विषयः 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि विकसित बिहार के सात निश्चय के अंतर्गत 'हर घर नल का जल' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा आच्छादित ग्राम पंचायतों के गैर गुणवत्ता प्रभावित लगभग 15,253 वार्डों में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जाना है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर गुणवत्ता प्रभावित 2288 वार्डों में जलापूर्ति योजनाएं क्रियान्वित कराये जाने का लक्ष्य है। पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है। यह भी ज्ञापित है कि निश्चय अंतर्गत जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों में अलग बैंक खाता संधारित किया जाना है। विभाग के द्वारा वर्तमान वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभियान चलाकर जलापूर्ति योजना को पूरा करने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु 7 एवं 8 फरवरी, 2017 को ग्राम पंचायतों में उपलब्ध योजना राशि से संबंधित सूचना लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा तैयार कराई जा रही है।

अतः अनुरोध है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा आच्छादित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों के 2288 वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे और विभाग के कार्यपालक अभियंता को संबंधित ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की निधि की उपलब्धता संबंधी सूचना उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेंगे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः यथोक्त।

6/2/17

(अंशुली आर्या)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6 / बैठक–107 / 16 237 दिनांक: 06/2/17

प्रतिलिपि: सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य कार्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि 7 एवं 8 फरवरी, 2017 को जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की निधि की उपलब्धता संबंधी सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे और विभागीय वेबसाईट www.phedmis.bih.nic.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करायेंगे। कार्य में कठिनाई की स्थिति में अविलंब अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

अनुलग्नक: प्रतिवेदन प्रपत्र संलग्न।

(अंशुली आर्या) 6/2/17
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6 / बैठक–107 / 16 237 दिनांक: 06/2/17

प्रतिलिपि: सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के क्रियान्वयन में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देना चाहेंगे।

(अंशुली आर्या) 6/2/17
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6 / बैठक–107 / 16 237 दिनांक: 06/2/17

प्रतिलिपि: मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान की अपने स्तर से अनुश्रवण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(अंशुली आर्या) 6/2/17
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6 / बैठक–107 / 16 237 दिनांक: 06/2/17

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि भवदीय के सादर अवलोकनार्थ पत्र को प्रस्तुत किया जाय।

(अंशुली आर्या) 6/2/17
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6 / बैठक–107 / 16 237　　　　　　　　　　दिनांक: 06/2/17

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को 7 एवं 8 फरवरी, 2017 को जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से संपर्क स्थापित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे और फलाफल से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6 / बैठक–107 / 16 237　　　　　　　　　　दिनांक: 06/2/17

प्रतिलिपि: राज्य समन्वयक, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि विभाग के सभी 42 कार्य प्रमंडलों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6 / बैठक–107 / 16 237　　　　　　　　　　दिनांक: 06/2/17

प्रतिलिपि: आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट www.phedmis.bih.nic.in पर वांछित सूचना अपलोड करने हेतु विलम्ब Application तैयार करेंगे और सूचना प्रतिवेदन में लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।